न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बामनवास

पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 25/2022

जसराम पुत्र फैली, जाति मीना, निवासी टूण्डीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136

भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 28.3.2025

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे प्रार्थना पत्र में प्रार्थी जसराम द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता नम्बर नया 68 (पुराना 69) में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 130/193 रकवा 0.25 हैक्टेयर, 203/131 रकवा 0.04 हैक्टेयर, 9 रकवा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकवा 0.64 हैक्टेयर स्थित ग्राम शेरपुरदोनाय, तहसील बामनवास हैं जिनको प्रार्थी व सहखातेदार ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी की भूमि खाता संख्या नया 68 (पुराना 69) में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 130/193 रकवा 0.25 हैक्टेयर, 203/131 रकवा 0.04

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

हैक्टेयर, 9 रकवा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकवा 0.64 हैक्टेयर स्थित ग्राम शेरपुरदोनाय में राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण प्रार्थी का नाम जसराम पुत्र फैली के स्थान पर विश्राम पुत्र फैली अंकित हो गया है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जसराम पुत्र फैली ही है, प्रार्थी के अन्य खाता संख्या 64, 85 स्थित ग्राम टूण्डीला में प्रार्थी का नाम जसराम पुत्र फैली ही दर्ज है तथा राशन कार्ड, परिचय पत्र आदि सभी प्रकार के दस्तवेजों में प्रार्थी का नाम जसराम पुत्र फैली ही दर्ज है और यही नाम सही है । विश्राम पुत्र फैली नाम का कोई व्यक्ति ग्राम शेरपुरदोनाय व टूण्डीला में नहीं है । हाल जमाबंदी में प्रार्थी के नाम के गलत अंकन होने से प्रार्थी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा उक्त गलत प्रकार से नाम का अंकन हो जाने से प्रार्थी अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता आदि भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है और न ही कोई के.सी.सी. प्राप्त कर पा रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत अंकन बने रहने से प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात हो रहा है । प्रार्थी के नाम का गलत अंकन राजस्व कर्मचारियों की भूलवश हुआ है जो लिपिकीय त्रुटि है जिसको कि न्यायहित में शुद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है आदि कथन करते हुए उक्त गलती को संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया, विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का समर्थन किया गया तथा प्रस्तुत जवाब में यह भी वर्णित किया गया है कि विश्राम पुत्र फैली एवं जसराम पुत्र फैली एक ही व्यक्ति हैं तथा उक्त भूमि में प्रार्थी व उसके सहखातेदार उसके भाई लोहड़ेराम का 1/2 – 1/2 हिस्सा भी होना स्वीकार किया है ।

बहस पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पत्रावली यह स्पष्ट है कि ग्राम शेरपुरदोनाय में भूमि खसरा नम्बर 130/193 रकवा 0.25 हैक्टेयर, 203/131 रकवा 0.04 हैक्टेयर, 9 रकवा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकवा 0.64 हैक्टेयर स्थित है, जिसकी वर्तमान खातेदारी इन्द्राज विश्राम पुत्र फैली व लोहड़ेराम पुत्र फैली, निवासी टूण्डीला हिस्सा 1/2 – 1/2 दर्ज है । प्रार्थी द्वारा जमाबंदी खाता संख्या 64 व 85 स्थित ग्राम टूण्डीला भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रार्थी का नाम जसराम पुत्र फैली ही दर्ज है । साथ ही प्रार्थी के सहखातेदार लोहड़ेराम पुत्र फैली द्वारा भी अपनी ओर से एक सहमति पत्र स्टॉम्प 100/– रुपये का पेश किया है, जिसमें कि उसके द्वारा उपरोक्त भूमि उसकी व उसके भाई जसराम

उपजिला कलक्टर
रामनवास (स०मा०)

की पैतृक भूमि होने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि प्रार्थी के भाई का नाम जसराम ही है तथा इसे शुद्ध किए जाने में उसको कोई आपत्ती नहीं है तथा उसकी पूर्ण सहमति है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बामनवास द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब में भी स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी व उसके भाई लोहड़ेराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिसमें दोनों का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है तथा आगे यह भी कथन किए हैं कि विश्राम पुत्र फैली एवं जसराम पुत्र फैली दोनों एक ही व्यक्ति हैं। संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किए जाने के पश्चात् हमारे द्वारा यह पाया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व उसके भाई लोहड़ेराम की सहखातेदारी की पैतृक भूमि है तथा प्रार्थी का नाम अन्य गांव टूण्डीला की भूमि के संदर्भ में भी जसराम पुत्र फैली ही दर्ज है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं रह जाता है तथा तहसीलदार, बामनवास द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी जसराम पुत्र फैली, जाति मीना, निवासी टूण्डीला,

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि वह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, ग्राम शेरपुरदोनाय के खसरा नम्बर 130/193 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 203/131 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 9 रकबा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर के संदर्भ में प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वर्तमान नाम विश्राम पुत्र फैली के स्थान पर जसराम पुत्र फैली दर्ज किया जावे । तहसीलदार, बामनवास को इस आदेश की एक प्रति पालनार्थ पठाई जावे ।

बृजेन्द्र मीना
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

उपजिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)

आदेश आज दिनांक 28.3.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

बृजेन्द्र मीना
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

उपजिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner